

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

हीरा

बनाम

किशनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 136/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>हीरा</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्दा मोई</u></p> <p>निवासी- <u>मोई खेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बस्ती</u> स्थित, खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 913</u> कीता 9 कुल रकबा <u>1.3400</u> 915 रकबा <u>0.1000</u>, 1010, 1011 कीता 2 कुल रकबा <u>0.3300</u></p> <p>कुल कीता <u>12</u> कुल रकबा <u>1.7700</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बस्ती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 913</u> कीता 9 कुल रकबा <u>1.34</u>, 915 रकबा <u>0.1000</u> 1010, 1011 कीता 2 कुल रकबा <u>0.3300</u></p> <p>कुल कीता <u>12</u> रकबा <u>1.7700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p> 